

October 24, 2026

The BSE Limited

Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai - 400 001

The National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra-Kurla Complex.
Bandra (E), Mumbai - 400 051

SCRIP CODE: **543066**

SYMBOL: **SBICARD**

SECURITY: **Equity Shares/Debentures**

SECURITY: **Equity Shares**

Dear Sirs,

Re: Disclosure under Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - Newspaper Advertisements - Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and the half year ended September 30, 2026

In Compliance with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed herewith copies of the Newspaper Publications of the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter and the half year ended September 30, 2026, published in 'Business Standard' - all editions (English and Hindi) on October 24, 2026.

The same is also being uploaded on the website of the Company at www.sbicard.com.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For SBI Cards and Payment Services Limited

PAYAL
MITTAL
CHHABRA
Digitally signed
by PAYAL MITTAL
CHHABRA
Date: 2026.10.24
12:05:54 +05'30'

Payal Mittal Chhabra

Chief Compliance Officer & Company Secretary

Date of Event: - October 24, 2026; Time: NA

SBI Cards and Payment Services Ltd.

DLF Infinity Towers, Tower C,
12th Floor, Block 2, Building 3,
DLF Cyber City, Gurugram - 122002,
Haryana, India

Tel.: 18001801290
Email: customercare@sbicard.com
Website: sbicard.com

Registered Office:
Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower,
E 1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi - 110034
CIN - L65999DL1998PLC093849

समिति करेगी दवा बिक्री की समीक्षा

तीन सदस्यीय समिति यूसीपीएमपी के प्रभाव का आकलन करेगी और उपाय सुझाएगी

संकेत कौल

केंद्र सरकार बाजार में दवाओं की बिक्री से संबंधित मौजूदा नियमों की समीक्षा में जुट गई है। इसके लिए औषधि विभाग (डीओपी) ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो इस बात की पड़ताल करेगी कि औषधि की मार्केटिंग से जुड़े तौर-तरीकों के लिए एक समान संहिता (यूसीपीएमपी) कितनी प्रभावी रही है।

इससे संबंधित दस्तावेज बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भी देखा है। दस्तावेज के मुताबिक इस समिति की अध्यक्षता नीति आयोग के सदस्य एवं एप्स नई दिल्ली के पूर्व निदेशक एम श्रीनिवास करेगे। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सुदन और मेदांत हॉस्पिटल्स के चेयरमैन नरेश त्रेहन शामिल हैं।

समिति के कार्य क्षेत्र में अनुचित दवा विपणन व्यवहार रोकने के लिए

निगरानी एवं प्रवर्तन तंत्र की प्रभावशीलता की जांच करना और पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के पालन बेहतर बनाने के उपाय खोजना शामिल हैं।

औषधि विभाग द्वारा 22 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा गया है, 'समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से दो महीने के भीतर औषधि विभाग को अपने सुझाव सौंप देगी। इससे पहले समिति जरूरी परामर्श प्रक्रिया पूरी करेगी और अपने सामने रखे गए दस्तावेजों और सुझावों पर उचित विचार करेगी।'

विभाग इस समिति को सचिवालय संबंधी सहायता प्रदान करेगा। समिति जरूरत पड़ने पर हितधारकों, तकनीकी और पेशेवर विशेषज्ञों एवं संबंधित संस्थानों या निकायों से परामर्श कर सकती है।

यह कदम दवा कंपनियों के अधिकारियों और दवा एवं बिक्री प्रतिनिधियों के संगठनों द्वारा जताई चिंताओं के बाद उठाया गया है। इन संगठनों ने वर्ष 2024 में



अधिसूचित यूसीपीएमपी के तहत 'स्वैच्छिक' और 'उद्योग द्वारा संचालित' स्व-नियामक ढांचे पर सवाल उठाए थे।

वर्ष 2024 के यूसीपीएमपी के तहत दवा संगठनों के लिए यह जरूरी था कि वे दवा विपणन के तौर-तरीकों के लिए आचार समिति (ईसीपीएमपी) बनाएं जिसमें पांच सदस्य हों और अपनी वेबसाइटों पर एक विशेष पोर्टल तैयार करें।

ईसीपीएमपी के फैसलों के खिलाफ दवा विपणन व्यवहारों के लिए शीर्ष समिति (एसोपीएमपी) में

अपील की जा सकती थी। इस समिति के प्रमुख औषधि विभाग के सचिव होते हैं और इसमें एक संयुक्त सचिव तथा एक वित्त अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं।

हालांकि, फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रेप्रेजेंटेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएमआरएआई) ने तब कहा था कि भले ही इस संहिता में किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत उद्योग- केंद्रित आचार समिति से शीर्ष समिति तक ले जाने का

प्रावधान है मगर इस बात पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को किस तरह दंडित किया जाएगा।

वर्ष 2024 में अपने एक बयान में इस संगठन ने कहा था, 'इस संहिता में कंपनियों द्वारा अनुचित विपणन व्यवहारों के लिए दंड देने का कोई ठोस प्रावधान नहीं है।'

दिल्ली में दवा उद्योग से जुड़े एक प्रतिनिधि ने कहा कि शिकायतें शीर्ष समिति तक ले जाने की प्रक्रिया काफी जटिल और अस्पष्ट है।

एमएमआरएआई ने वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मांग की थी कि यूसीपीएमपी को कानूनी दर्जा दिया जाए।

तब शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार को इस पर जवाब देने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) विनोद के पांल की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति का गठन किया।

सिंगल-यूज उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक का समर्थन

संकेत कौल

घरेलू स्वास्थ्य उपकरण निर्माताओं ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के उस निर्देश का समर्थन किया है जिसमें सभी सार्वजनिक एवं निजी स्वास्थ्य संस्थानों में एक बार इस्तेमाल के लिए बने स्वास्थ्य उपकरणों एवं शल्य चिकित्सा सामग्री (डिस्पोजेबल सर्जिकल आइटम) के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है।

डीजीएचएस ने 16 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में कहा था कि इस तरह के व्यवहार विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक और वैस्कुलर सर्जरी (सीटीवीएस), न्यूरोलॉजी और अन्य विशेष नैदानिक सेवाओं में देखे गए हैं।

पत्र में यह भी कहा गया है कि कई मामलों में दोबारा इस्तेमाल की जाने वाली इन चीजों की पूरी कीमत



मरीजों से वसूली गई या संबंधित सरकारी प्राधिकरणों द्वारा इसका भुगतान (रीइंबर्समेंट) किया गया। घरेलू स्वास्थ्य-तकनीकी संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री (एआईएमईडी) के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ ने कहा, 'किसी ऐसे उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल करना, जिसे केवल एक बार इस्तेमाल के लिए ही बनाया और प्रमाणित किया गया है, मरीज की सुरक्षा के लिए जोखिम है। ऐसी सामग्री साफ करने, दोबारा संक्रमण मुक्त करने या दोबारा इस्तेमाल करने के लिए

नहीं बनाई जाती हैं। इनके दोबारा इस्तेमाल से संक्रमण फैल सकता है, उपकरण खराब हो सकते हैं, उनकी कार्यक्षमता कम हो सकती है और मरीजों को नुकसान पहुंच सकता है।'

नाथ ने डीजीएचएस के इस निर्णय को 'मरीजों को प्राथमिकता' देने वाला और कहा कि दोबारा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति या संस्थान की ही जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। नाथ ने कहा, 'हमारी मांग है कि इसे लागू करने की प्रक्रिया और किसी भी तरह की जवाबदेही तय करने वाले ढांचे में स्पष्ट रूप से शामिल किया जाना चाहिए।' डीजीएचएस के पत्र में कहा गया है कि एक बार इस्तेमाल होने वाले शल्य चिकित्सा उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल करना दवा एवं कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940, स्वास्थ्य उपकरण नियम, 2017 और नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 का उल्लंघन है।

‘चीनी सैनिकों के तय गश्त से हटने पर एलएसी पर बिगड़ जाती है स्थिति’

अर्चिस मोहन

विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति समय-समय पर तब बिगड़ जाती है, जब चीनी सैनिक गश्त के तय तरीकों से हटते हैं। मंत्रालय का यह बयान भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की उस टिप्पणी के एक दिन बाद आया है जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों के साथ कई जगहों पर टकराव जारी रहने की बात कही थी।

आईटीबीपी प्रमुख की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जयसवाल ने कहा, 'जैसा कि हमने पहले भी कहा है, भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति समय-समय पर तब बिगड़ जाती है, जब चीनी सैनिक गश्त के निर्धारित तौर-तरीकों से हटकर गतिविधियां करते हैं।' उन्होंने कहा कि इस मामले के विशिष्ट विवरण के लिए रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय की पाक्षिक प्रेस वार्ता में जयसवाल ने कहा कि भारत और चीन के बीच लंबित मुद्दों को सुलझाने और एलएसी पर गलतफहमी तथा गलत आकलन से बचने के लिए दोनों पक्ष मौजूदा कूटनीतिक और सैन्य तंत्रों का



रणधीर जयसवाल, प्रवक्ता

इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों देश बेहतर सीमा प्रबंधन के लिए एलएसी की समझ को कुछ उपयुक्त क्षेत्रों में बेहतर बनाने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए भी सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, 'में इस बात पर भी जोर देना चाहूंगा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।'

राजस्थान के अलवर में आईटीबीपी के एक केंद्र पर 24 अक्टूबर को बल के 65वें स्थापना दिवस से पहले अपने संबोधन में निवर्तमान महानिदेशक कपूर ने कहा था कि चीन का मुकाबला करने के लिए अब पारंपरिक युद्ध पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि आईटीबीपी ने अपनी सभी सीमा इकाइयों में ड्रोन प्लाटून गठित की हैं और गलवान जैसी लड़ाइयों से बेहतर ढंग से निपटने के लिए एक नया 'स्ट्राइक' प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को एक संवाददाता सम्मेलन में मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीमा की स्थिति पर एक विस्तृत बयान देकर देश और संसद को विश्वास में लें। पार्टी ने मोदी पर आरोप लगाया कि वे कायर हैं, क्योंकि उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ अपनी मुलाकातों के दौरान चीन के साथ सीमा के मुद्दों को नहीं उठाया।

‘थिएटर कमांड पर राजनीतिक नेतृत्व का रुख बिल्कुल स्पष्ट’

शतरूपा भट्टाचार्य

सरकार देश के सशस्त्र बलों को 'थिएटर कमांड' (एकीकृत कमान) के ढांचे के तहत लाने में काफी दिलचस्पी ले रही है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने शुक्रवार को यह बात कही। नई दिल्ली में लेखा कंपनी केपीएमजी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा, 'राजनीतिक नेतृत्व इस बात को लेकर बिल्कुल स्पष्ट नजरिया रखता है कि तीनों सेनाओं को थिएटर कमांड के तहत एकीकृत करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे राष्ट्रीय ताकत का रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा।'

सिंह ने कहा कि यह प्रक्रिया चल रही है और रूपरेखा तैयार कर ली गई है। उन्होंने कहा कि अब बस ऊपर से मंजूरी मिलने का इंतजार है। थिएटर कमांड सैन्य संगठन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों अलग-अलग सेनाओं को किसी एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र (थिएटर) की सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के लिए एक ही कमांडर के अधीन एकीकृत कर दिया जाता है।

रक्षा सचिव ने कहा कि मौजूदा समय में अंतरिक्ष, साइबर, जमीन, समुद्र और हवा जैसे कई क्षेत्र युद्ध का हिस्सा हो गए हैं इसलिए भारत के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत थिएटर कमांड की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हम इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।'

एकीकृत थिएटर कमांड का विचार वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के बाद से ही चर्चा में रहा है मगर हाल में सशस्त्र बलों ने सरकार को एक औपचारिक प्रस्ताव सौंपा है। रक्षा मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) ने अभी तक इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। सीसीएस इस पर अंतिम फैसला लेने वाली शीर्ष संस्था है।

पूर्व सेना प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) ने अपने कार्यकाल के दौरान बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया था कि प्रस्तावित ढांचे में जमीन और समुद्र दोनों तरह के थिएटर कमांड शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि ये भारत की रणनीतिक चुनौतियों और अवसरों को दर्शाते हैं। हालांकि, सीडीएस के पद को वर्ष 2019 में सीसीएस की मंजूरी मिली थी मगर यह पद कारगिल युद्ध के बाद शुरू हुई पहला का ही नतीजा था। मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितता पर रक्षा सचिव ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय नियमों को लेकर



राजेश कुमार सिंह, रक्षा सचिव

पहले बनी आम सहमति अब टूट चुकी है और देश फिर हथियारों से लैस हो रहे हैं एवं इन पर अधिक खर्च कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि वह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने मगर साथ ही उसे यह भी ध्यान में रखना होगा कि उसकी आपूर्ति श्रृंखला मित्र देशों और भरोसेमंद इलाकों में मौजूद हों। सिंह ने कहा, 'रक्षा तैयारियों को कमजोर या बहुत अधिक केंद्रित आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भर नहीं रखा जा सकता।' सिंह ने कहा कि भारत अपना रक्षा-औद्योगिक आधार मजबूत करने का इरादा रखता है।

वर्तमान समय में रक्षा क्षेत्र में औद्योगिक लाइसेंस वाली लगभग 840 बड़ी और मध्यम आकार की कंपनियां हैं, साथ ही 17,000 छोटी कंपनियां एवं स्टार्टअप भी हैं। घरेलू बिक्री 1.78 लाख करोड़ रुपये रुपये की है और रक्षा निर्यात लगभग 38,000 करोड़ रुपये के अब तक के अधिकतम स्तर पर पहुंच गया है।

सिंह ने कहा, 'हमारा इरादा मित्र देशों के साथ मिलकर रक्षा तकनीक विकसित करने, उनका उत्पादन करने और उनका सह-स्वामित्व रखने का है। साथ ही, हम भारतीय आपूर्तिकर्ताओं को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनाना चाहते हैं।'

मुख्य रूप से 'रीआर्म यूरोप' यानी यूरोप को फिर हथियारों से लैस करने की पहल के कारण भारत यूरोप को गोला-बारूद जैसी रक्षा सामग्री भेजने वाला एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन गया है। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद भारतीय हथियार निर्माताओं ने यूरोपीय देशों को कम से कम 87.2 करोड़ डॉलर मूल्य के गोला-बारूद (जिनमें आर्टिलरी और मोर्टार शेल शामिल हैं) भेजे हैं।





SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LIMITED

Regd Office: Unit 401 & 402, 4th Floor, Aggarwal Millennium Tower, E 1,2,3, Netaji Subhash Place, Wazirpur, New Delhi - 110034, Tel: 0124-4589803, CIN: L65999DL1998PLC093849, E-mail: investor.relations@sbicard.com, Website: www.sbicard.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

(₹ in Crores, except per share data)

S. No.	Particulars	Quarter Ended		Half Year Ended		Year Ended
		September 30, 2026 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	September 30, 2026 (Unaudited)	September 30, 2025 (Unaudited)	March 31, 2026 (Audited)
1.	Total Income from Operations	5,140.53	4,960.98	10,181.08	9,837.89	19,899.63
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1,045.72	599.77	1,938.87	1,348.15	2,913.19
3.	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,045.72	599.77	1,938.87	1,348.15	2,913.19
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	777.60	444.77	1,442.06	1,000.74	2,166.71
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	779.08	446.42	1,444.42	1,000.13	2,174.56
6.	Paid up Equity Share Capital, Equity share of ₹10/- each	951.64	951.55	951.64	951.55	951.60
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	16,220.44	13,837.73	16,220.44	13,837.73	14,773.90
8.	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (not annualised): 1. Basic (₹): 2. Diluted (₹):	8.17 8.17	4.67 4.67	15.15 15.15	10.52 10.52	22.77 22.77

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and half year ended September 30, 2026 filed with the stock exchange(s) under Regulation 33 and Regulation 52 read with Regulation 63(2) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results is available on the website of the stock exchange(s) (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and can also be accessed on the website of SBI Cards and Payment Services Limited (www.sbicard.com). The same can also be accessed by scanning the QR code below.
- For disclosure under Regulation 52(4) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please refer the full format of the financial results available on the website of the stock exchange(s) and the Company, as mentioned above.
- The above financial results of the Company have been prepared in accordance with the applicable Ind AS notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- During the half year ended September 30, 2026, the Company has allotted 43,532 equity shares of ₹ 10/- each pursuant to exercise of options under the approved employee stock option scheme(s).



Scan to view full format of the financial results

Sd/-
Saliia Pande
Managing Director & CEO
DIN:- 10941529
Place: Mumbai
Date: October 23, 2026

